

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 98/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/280

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1.धर्मराम पुत्र फुफाराम	1.रतनलाल पुत्र बाबुलाल जाति खटीक
2.केसाराम पुत्र फुफाराम	निवासी गुप्ता ट्रांसपोर्ट के पास, जोघपुर
3.हरियादेवी बेवा पदमाराम	रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा
4.मैलाराम पुत्र पदमाराम	2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
जाति भील निवासी मूंगड़ा	पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1.श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 20/08/2025

1.संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1664/878 रकबा 16.00 बीघा व खसरा संख्या 1658/878 रकबा 9.03 बीघा भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं होने के उपरांत भी वादीगण की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी की जा रही है,और आये दिन वादीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माठे को तोड़ने को प्रयासरत है,जबकि प्रतिवादी पक्ष को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है।



2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुई। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादीगण के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू-1 केसराराम, पी.डब्ल्यू-2 भटाराम व पी.डब्ल्यू 03-पुखराज के बयानात कलमबद्ध किए गए। दरतावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत 2061-2064, प्रदर्श 02-जमाबंदी संवत 2065-2068, प्रदर्श 03-जमाबंदी संवत 2065-2068 व प्रदर्श 04-जमाबंदी संवत 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4. वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1664/878 रकबा 16.00 बीघा व खसरा संख्या 1658/878 रकबा 9.03 बीघा भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काशत चला आ रहा है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में रहवासी ढाणीया, पानी के टांके, पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन प्रतिवादी पक्ष झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो वादीगण की भूमि को हड़प करने की नियत रखते हैं और आये दिन वादीगण की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते हैं, और वादीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी कायम माठे को तोड़ने का प्रयासरत हैं, और आये दिन वादीगण को धमकिया दी जा रही है कि वादीगण की कब्जाशुदा भूमि में अवैध कब्जा कर लिया जावेगा, जबकि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक हकूक निहित नहीं है। इसके उपरांत भी ताकत के बल पर वादीगण की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 ऐसा करने में सफल हो गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी साबित है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी सूरत में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अति आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि वें वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें, उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार का निर्माण ही करें।




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5. हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1664/878 रकबा 16.00 बीघा व खसरा संख्या 1658/878 रकबा 9.03 बीघा भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज है, जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे, इस कारण वाद लाया गया है, जो कि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित रखने के हकदार हैं, क्योंकि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई हक हकूक नहीं बनता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती है, तो वादीगण को नुकसान होनी की प्रबल संभावना है। ऐसी सूरत में वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैधा कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि एक प्रकार से गैर कानूनी है और प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1664/878 रकबा 16.00 बीघा व खसरा संख्या 1658/878 रकबा 9.03 बीघा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 98/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/280

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. धर्मराम पुत्र फुफाराम
 2. केसाराम पुत्र फुफाराम
 3. हरियादेवी बेवा पदमाराम
 4. मैलाराम पुत्र पदमाराम
- जाति भील निवासी मूंगड़ा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. रतनलाल पुत्र बाबुलाल जाति खटीक
निवासी गुप्ता ट्रांसपोर्ट के पास, जोधपुर
रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 98/2023

निर्णय दिनांक :- 20.8.2025

वादीगण की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 20.8.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1664/878 रकबा 16.00 बीघा व खसरा संख्या 1658/878 रकबा 9.03 बीघा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे।

यह आज तारीख 20.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	*
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	_____
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	---	6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	---	जोड़	_____



[Signature]
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा